**प्रेस विज्ञप्ति**
**20/6/2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यायल ने आरोपी नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और उनसे जुड़ी संस्थाओं की ज़ब्त की गई 23 अचल संपत्तियों की नीलामी सफलतापूर्वक पूरी की जिनकी कीमत लगभग 159 करोड़ रुपये है।

ईडी हैदराबाद ने पहले श्रीमती नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। इन लोगों ने भोले-भाले लोगों से सालाना 36% से ज़्यादा का बहुत ज़्यादा रिटर्न देने का वादा करके 5,978 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश इकट्ठा किया था, लेकिन वे मूल रकम भी वापस नहीं कर पाए और इस तरह उन्होंने देश भर में बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 31/2020 में विविध आवेदन संख्या 2227/2024 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, अभियुक्त नोवेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ तथा अन्य संबंधित संस्थाओं की संलग्न अचल संपत्तियों की नीलामी का सफलतापूर्वक आयोजन 19.06.2026 को मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के माध्यम से किया।

ईडी द्वारा नीलाम की गई संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत संलग्न की गई थीं, क्योंकि उन्हें अनुसूचित अपराधों से अर्जित अपराध की आय (Proceeds of Crime) से प्राप्त अथवा अधिग्रहित परिसंपत्तियों के रूप में चिह्नित किया गया था। उक्त संलग्नियों की पुष्टि माननीय निर्णायक प्राधिकारी (पीएमएलए) द्वारा भी की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नीलामी प्रक्रिया का संचालन एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से किया गया।

नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी एवं निर्देशों के अधीन वास्तविक निवेशकों/पीड़ितों को प्रतिपूर्ति एवं भुगतान करने हेतु किया जाएगा। इससे उन हजारों निवेशकों को मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी, जिन्हें अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था।

जांच के दौरान नोवेरा शेख माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहीं। उनके इस आचरण को गंभीरता से लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत निरस्त कर दी। इसके पश्चात, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), हैदराबाद ने दिनांक 07.05.2026 को उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया।

विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 21.05.2026 को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया तथा अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया, जहाँ वे वर्तमान में निरुद्ध हैं।

मामले में आगे की जांच जारी है।